मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी ~~लोक अदालत~~/केम्प कोर्ट)..मालाखेड़ा

पीठासीन अधिकारी :- विश्वामित्र मीना RAS

उनवान

दीवानसिंह ..... बनाम ..... नरपतसिंह आदि

दावा बाबत :- RTA-151

मुकदमा नम्बर :- 87/22-06-2017

निर्णय दिनांक:- 29-06-2017

वादी की ओर से ...वादी स्वयं..... की व प्रतिवादी की ओर से ...प्रति. स्वयं.....

की उपस्थिति में आज तारीख 29-06-2017 को विश्वामित्र मीना (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती कि - खाता संख्या-55 में वादी को सम्पूर्ण भाग कलम बन किया जाता है उसके स्थान पर, वादी, प्रति.-1 व प्रति. 2 से 7 का नाम उनके हिस्से नुसार जोड़ा जाता है। खाता सं. 56 में प्रति.-1 के नाम 1/4 भाग दर्ज है उसे कलम बन किया जाता है इस 1/4 भाग पर प्रति.-1, वादी व प्रति. 2 से 7 का नाम उनके हिस्से नुसार जोड़ा जाता है। खाता संख्या-97 में प्रति.-1 के सम्पूर्ण भाग कलम बन किया जाकर उसके स्थान पर वादी, प्रति. 2 से 7 व प्रति-1 को उनके हिस्से नुसार जोड़ा जाता है। खाता सं.-208 जो प्रति. 2 से 7 के नाम दर्ज है उसे कलम बन किया जाकर प्रति 2 से 7, वादी व प्रति-1 के नाम उनके हिस्से नुसार जोड़ा जाता है। उक्त खातों से सम्बन्धित विवादित भाग जिसका ग्राम सिलपटा तह. कोटकासिम जिला अलवर (राज.) स्थित भाग वादी, प्रति-1 व प्रति. 2 से 7 का उनके हिस्से नुसार बंटवारा घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली नम्बर 2 के क्रमांक 87 का वाद तकमील किया हुआ माना जावे। निर्णय केम्प कोर्ट में लिखाया व सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 29-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद प्रत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर के फीस	
4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों को लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

Chiranjiv Adv.

Adv.

पृ 6/1 आवेदन पत्रावली के क्रम कोई मतभेद या [illegible]
देखते हुए उभय पक्ष के अधि. उप. गुप्ति. [illegible]
निष्पक्ष पक्ष किया। उभय पक्षों को सुनाया [illegible]
लिखित पत्र. का अवलोकन किया। [illegible]
से साक्ष्य सम्बन्ध है। अतः वादपत्र की [illegible]
बताई है। विचार अनुसार है। विवाद का [illegible]
पत्र. किया गया। क्रम कोई में उभय [illegible]
नम्बर से क्रम होकर वाद रजिस्टर [illegible]
की जाये।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (नवलगढ़)

Scanned by CamScanner